श्री नीतीश मिश्रा द्वारा ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में किये गये कार्यों की विस्तृत विवरणी

इंदिरा आवास योजनाः–

1. योग्य परिवारों को ही इंदिरा आवास का आवंटन सुनिश्चित हो सके इसके लिए इंदिरा आवास की प्रतीक्षा सूची को ग्राम सभा में रखकर सामाजिक अंकेक्षण कराने की व्यवस्था लाई गयी ।

2. बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रखंड स्तरीय शिविर आयोजित कर सहायता राशि की प्रविष्टि युक्त बैंक पासबुक का जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरण ।

वर्तमान में लाभुक के बैंक खाता में RTGS/ NEFT के माध्यम से राशि अंतरित करने की नयी व्यवस्था लाई गयी ।

3. लाभुकों को द्वितीय किश्त की राशि उपलब्ध कराने हेतु उनसे गांव में ही आवेदन प्राप्त कर उसके 15 दिनों के अंदर राशि भुगतान करने की व्यवस्था ।

4. 01.04.2004 के पूर्व के अनुसूचित जाति/अनु0 जन जाति के छत के बिना अपूर्ण इंदिरा आवास पर छत निर्माण हेतु **मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना** की शुरूआत कर राज्य कोष से प्रत्येक लाभुक को 30 हजार रूपये अतिरिक्त सहायता राशि अनुदान के रूप में भुगतान करने की व्यवस्था ।

5. जन साधारण के अवलोकनार्थ ऐसे चिन्हित लाभुकों की सूची को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाना ।

6. इंदिरा आवास लाभार्थियों के द्वारा 6 माह के अंदर आवास पूर्ण करने पर उनके घरों का बीमा कराने हेतु **मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास बीमा योजना** की शुरूआत की गयी ।

6. महादलित परिवारों को दो माह के अंदर इंदिरा आवास का निर्माण पूर्ण कराकर आवासीत होने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास**

प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2000 रूपये अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान भुगतान करने की व्यवस्था ।

7. इंदिरा आवास एवं मनरेगा योजनातर्गत प्राप्त शिकायतों की प्रभावी जांच एवं उसके निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स (SQM) के पैनल का निर्माण किया गया। इसमें चयनित पदाधिकारी प्रशासनिक/तकनीकि/अभियंत्रण सेवा आदि से सेवा निवृत हैं । जाँच में पारदर्शिता और उच्च कोटि का प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए मानक प्रक्रिया निर्धारित ।

8. योजना की प्रगति से जन साधारण को अवगत कराने के लिए लाभुकों से संबंधित सूचनाओं को इंदिरा आवास योजना के वेबसाईट (आवास सॉफ्ट पर) अद्यतन रखने तथा इसका अनुश्रवण करने हेतु प्रखंड स्तर पर कार्यपालक सहायक, जिला स्तर पर एम0आई0एस0 ऑफिसर एवं विभागीय मुख्यालय स्तर पर एम0आईएस0 टीम की सेवा ब्रह्य एजेंसी से लेने की व्यवस्था ।

9. योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने और लाभुकों को सीधे संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा आवास के लाभुकों का मोबाईल नम्बर प्राप्त कर इस योजना से जुड़े पदाधिकारियों को लाभुको से सीधे सम्पर्क में आने की पहल का प्रयास ।

10. इंदिरा आवास योजना अंतर्गत ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों के प्रत्येक आवास के साथ मनरेगा एवं सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अभिसरन से अनिवार्य रूप से निजी शौचालय बनाने का प्रावधान किया गया ।

11. राज्य सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में सुधार करने के क्रम में 1996 से इंदिरा आवास प्राप्त लाभुकों की सूची को कार्यालय के दस्तावेजों के आधार पर तैयार कराया जा रहा है ।

12. इंदिरा आवास योजना के सघन पर्यवेक्षण तथा इंदिरा आवास के लाभुकों को देय लाभ सुगमता पूर्वक उपलब्ध करवाने हेतु क्षेत्र में **ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर** आदि का एक समर्पित टीम कार्यरत हैं ।

मनरेगाः–

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निष्पक्ष सुनवाई हेतु स्वतंत्र प्राधिकार **'लोकपाल'** की ग्रामीण विकास विभाग, बिहार द्वारा नियुक्ति ।

2. मनरेगा के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा प्राप्त शिकायतों के प्रभावी निराकरण की दृष्टि से विकास आयुक्त की अध्यक्षता में **राज्य स्तरीय शिकायत, निवारण एवं अनुश्रवण समिति** का गठन ।

3. मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यान्वित सभी योजना की पूर्ण विवरणी एवं जॉब कार्डधारियों को किये गये भुगतान इत्यादि की ब्योरा का **दीवार लेखन** सभी पंचायतों में किया गया साथ ही इस दीवार लेखन की तस्वीर खींचकर Flicker.com पर अपलोड की गयी ।

4. प्रत्येक **बुधवार** को जिला के वरीय उप समार्हता के नेतृत्व में प्रखंड के एक पंचायत में कार्यान्वित योजनाओं की जाँच एवं किये गये जांच को Google.doc पर अपलोड किये जाने की व्यवस्था की गई ।

5. मनरेगा योजना के कारगर कार्यान्वयन हेतु सभी मनरेगा कर्मियों एवं इसके 30 हजार **हिताधिकारियों को प्रशिक्षण** देने का वृहत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया ।

6. मनरेगा एवं इंदिरा आवास योजना पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा **पुलिस पदाधिकारियों** के लिए कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ।

7. पटना एवं अन्य जिला मुख्यालयों में **मीडिया** के प्रतिनिधियों की भी कार्यशाला आयोजित कर मनरेगा योजनाओं और उसके कार्यान्वयन के संबंधित विशेष पहलुओं से अवगत कराया गया।

8. **विधान मंडल के माननीय सदस्यों** के लिए कार्यशाला आयोजित कर विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं यथा मनरेगा, इंदिरा आवास, जीविका एवं एस0ई0सी0सी0 आदि का पावर प्रजेंटेशन के माध्यम से क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया ।

9. समाज के आखिरी व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचाने के दृष्टिकोण से राज्य के सभी **महादलित टोलों में विशेष कैम्प** आयोजित किया गया जिसमें मनरेगा योजना की जानकारी एवं महादलित परिवारों का जॉब कार्ड निबंधन किया गया ।

10. मनरेगा का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने हेतु जिलों एवं प्रखंडों का भौतिक उपलब्धि कमजोर वर्गो की भागीदारी, एम0आईएस0 प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, आधारभूत संरचना तथा पारदर्शिता के आधार पर **रैकिंग** करने की व्यवस्था ।

10. इस योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायतों का 5 Star/3 Star/अन्य के रूप में वर्गीकरण करने की व्यवस्था बनायी गयी ।

11. मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता हेतु proactive disclosure की नीति के तहत पंचायतों में चल रहे हर कार्य की पुरी जानकारी www.nrega.nic.in पर सर्व साधारण के निहितार्थ सहज उपलब्ध करायी गयी ।

12. योजनाओं के पारदर्शी कार्यान्वयन में सामाजिक अंकेक्षण की भूमिका को रेखांकित करते हुए सभी ग्राम पंचायतों में प्रति वर्ष कम से कम दो बार **सामाजिक अंकेक्षण** कराने के निर्देश एवं कार्यान्वयन ।

<u>मनरेगा में IT का योगदान :–</u>

- Andriod based mobile, सभी पंचायत रोजगार सेवक को उपलब्ध कराया गया है ।
- SAAS- Software as a solution application develop किया जाएगा ।
- Photograph latitude एवं longitude के साथ रहेगा इससे इनकी उपस्थिति भी सुनिश्चित हो सकेगा । इससे योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा ।

13. पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व निवर्हन के तहत जॉब कार्डधारियों को उनके द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कृत कार्य, कार्य दिवस की संख्या एवं भुगतान की विवरणी से संबंधित **स्टेटमेंट ऑफ जॉब** का वितरण ।

14. Central Plan Scheme Monitoring System (CPSMS)– मनरेगा योजना अंतर्गत विभिन्न कार्यान्वयन ईकाईयों को ससमय निधि उपलब्ध कराने तथा उनके द्वारा अनावश्यक रूप से निधि को संचित नही करने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु CPSMS की व्यवस्था लागू की गयी । इस व्यवस्था के तहत कार्यान्वयन ईकाई आवश्यकतानुसार निर्धारित बैंक खाता से स्वयं निधि प्राप्त कर सकते हैं ।

15. Social Audit Directorate - इसके तहत सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु एक स्वतंत्र **सोसाईटी** का गठन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य पारदर्शिता एवं जवाबदेही को और अच्छे तरीके से सुनिश्चित करना और मनरेगा योजना को सफल तरीके से संचालित करना है ।

16. 200 पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण – सभी जिलों में 5 और पूरे राज्य में लगभग 200 पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कराया जा रहा है । सामाजिक अंकेक्षण CSO (Civil Society Organisation) से चयनित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जा रहा रहा है । इसकी शुरूआत 10 जनवरी, 2015 से किया गया है ।

17. E-shakti - बिहार सरकार द्वारा सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग कर मनरेगा के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार में इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रॉल (ई–मस्टर) परियोजना की स्वीकृति वर्ष 2007 में दी गयी थी । बाद में इस परियोजना को बहुद्देशीय बनाने के उद्देश्य से इसका नामाकरण **ई–शक्ति परियोजना** किया गया । इस परियोजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक मनरेगा जॉब कार्ड धारक को एक सुरक्षित एवं उच्च क्षमता वाला इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट कार्ड दिया जाना है । इस कार्ड के डाटाबेस का उपयोग राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के संचालन में भी किया जाएगा ।

18. ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने एवं संबंधित शिकायतों को दर्ज कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा एक टॉल फ्री नम्बर–**18001208001** स्थापित किया गया है । जिसमें हिन्दी, अंगेजी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में समस्या समाधान की व्यवस्था है ।

ग्राम सभा का सशक्तिकरण :–

1. जनतंत्र की प्राथमिक ईकाई **ग्राम सभा को सशक्त** बनाने की दिशा में विभाग द्वारा कारगर प्रयास किया गया और योजनाओं के चयन से लेकर निगरानी, अनुश्रवण, अंकेक्षण एवं मूल्यांकन में **ग्रामीणों की भागीदारी** बढ़ाई गयी ।

2. पंचायती राज अधिनियमों के अनुरूप मनरेगा योजना के कार्यान्वयन एवं संबंधित विषयों पर प्रत्येक मंगलवार को **पंचायत कार्यकारिणी** की बैठक के आयोजन ।

3. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के चयनित प्रतिनिधियों का विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन हेतु उनके क्षमतावर्द्धन हेतु क्रमिक ढंग से **पंचायती राज प्रतिनिधियों** को मनरेगा का **प्रशिक्षण** ।

4. सभी जिलों को **मासिक समीक्षात्मक टिप्पणी**(MRN) निर्गत किये जाने की व्यवस्था आरम्भ कराई गई । साथ ही जिलों को भेजे गये मासिक समीक्षात्मक टिप्पणी का अनुपालन प्रतिवेदन अगले माह की समीक्षात्मक टिप्पणी में समावेशन और जिलों को प्रति माह भेजे जाने वाले समीक्षात्मक टिप्पणी तथा जिला से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन को **विभागीय वेबसाईट** पर अपलोड किया जाना ।

5. निजी भूमि पर मनरेगा योजना से कार्य करने के प्रावधान के तहत **आजीविका** से जुड़े अनेक योजनाओं को अनुमान्य किया गया । इनमें खेत–पोखर निर्माण, कुकुट आश्रय निर्माण, बकरी शेड निर्माण आदि को शामिल किया गया ।

शौचालय निर्माणः–

1. राज्य सरकार द्वारा 2019 तक खुले में शौच की व्यवस्था को समाप्त करने के लक्ष्य के आलोक में वैयक्तिक–परिवारिक **शौचालय निर्माण** की दिशा में विशेष पहल की गयी । लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के तत्वाधन में निर्मल भारत अभियान के तहत किये जा रहे वैयक्तिक–परिवारिक शौचालय निर्माण का मनरेगा के साथ अभिसरन किया गया । इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों के लिए **वैयक्तिक–परिवारिक शौचालय** का निर्माण अनिवार्य किया गया ।

2. **विश्व शौचालय दिवस** के अवसर पर 19 नवंबर, 2013 एवं 19 नवंबर, 2014 को राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन । 04 जुलाई, 2014 को राज्य के सभी संबंधित पदाधिकारियों, विभागाध्यक्षों तथा इस क्षेत्र में सक्रिय नागरिक संगठनों के साथ एक कार्यशाला **'स्वच्छ हरित बिहार'** आयोजित की गयी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री **श्री जीतन राम मांझी** के द्वारा घोषित प्रति पंचायत प्रति वर्ष कम से कम 200 शौचालयों के निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी सहभागियों में समन्वय तथा सबके प्रयास की रूपरेखा निर्धारित ।

3. RSM (Rural Sanitary Mart) - Sanitary Mart के द्वारा ग्रामीण शौचालय निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री यथा, पैन, ट्रैपस, पीट लाईनिंग रिंग, पीट कवर आदि विक्रय किया जाएगा । इसके द्वारा हाउस होल्ड को शौचालय निर्माण में तकनीकि सेवा भी प्रदान किया गया एवं शौचालय निर्माण हेतु कुशल मजदूरों की सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी ।

नियुक्ति एवं सुविधाएं –

1. ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना, मनरेगा तथा जीविका के 15 हजार से अधिक रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर **नियोजन** किया गया है। इन नियोजनों की प्रक्रिया पूर्णतः ऑन–लाईन पूर्ण की गयी और 4 महीने की अल्प अवधि में आवेदन प्राप्त करने से लेकर नियोजन तक का कार्य **पूर्ण पारदर्शिता** के साथ सम्पन्न कराया गया ।

2. **ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग सृजित** की गयी एवं ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली बनाया गया । तत्पश्चात, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 53वीं से 55बीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार ग्रामीण विकास पदाधिकारी (RDO) के लिए कुल अनुशंसित 533 में से 522 अभ्यर्थियों की ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति की गयी और जिलों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के उपरान्त उन्हें प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में प्रखंडों में पदस्थापित किया गया है ।

3. नव नियुक्त ग्रामीण विकास पदाधिकारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों को संकलित कर सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है । पदाधिकारियों

के डाटा–बेस का उपयोग भविष्य में होने वाले स्थानांतरण/पदस्थापन होने के समय किया जाएगा ।

4. **<u>Employee Welfare</u> -**

कर्मचारी के कल्याण हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं –

i. 12 दिनों का आकस्मिक अवकाश एवं 24 दिनों का अर्जित अवकाश की सुविधा मनरेगा एवं बी0आर0डी0एस0 के संविदा आधारित नियोजित व्यक्तियों को दी गयी ।

ii. मनरेगा अंतर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को भीषण दुर्घटना अथवा कर्तव्य पर हुए मृत्यु के लिए उनके मूल मानदेय का 60 गुणा राशि दिये जाने की व्यवस्था लागू की गयी ।

iii. कन्ज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर मनरेगा अंतर्गत कार्यरत कर्मियों को देय मानदेय में बढ़ोतरी किया गया ।

iv. निर्धारित राशि तक मानदेय प्राप्त कर रहे मनरेगा कर्मियों को ई0पी0एफ0 की सुविधा दी जा रही है ।

5. मनरेगा कर्मियों के कल्याण एवं आवश्यकताओं के आलोक में अन्य कार्य विभागों में कार्यरत तकनीकी पदाधिकारियों को दिये जा रहे **मानदेय** की तुलना में मनरेगा कर्मियों की मानदेय में वृद्धि ।

6. मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारियों के लिए **राज्य सवंर्ग के गठन** की स्वीकृति दी गयी ।

7. मनरेगा अंतर्गत कार्यान्वित हो रहे योजनाओं की शुरूआत, निर्माण के क्रम तथा योजना पूर्ण होने पर योजना की फोटोग्राफी कर एम0आई0एस0 पर अपलोड कराया जाना । इस हेतु पंचायत तकनीकि सहायक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, कार्यक्रम पदाधिकारी एवं पंचायत रोजगार सेवक के उपयोग हेतु एक–एक **एंड्रॉयड फोन** उपलब्ध कराने की व्यवस्था ।

मनरेगा कर्मियों की वेतन वृद्धि :–

विभागीय पत्रांक–218504 दिनांक–29.01.2015 द्वारा मनरेगा योजना में कार्यरत अनुबंध कर्मियों की वेतन वृद्धि की गयी है, जिसके अनुसार 1 जनवरी, 2015 से पंचायत रोजगार सेवक को 9410/–, जुनियर इंजीनियर को 16938/–, असिसटेंट इंजीनियर को 26,348/–, एक्सक्यूटिव इंजीनियर को 41,404/–एवं प्रोग्राम ऑफिसर को 41,404/– रूपये मासिक वेतन में वृद्धि की गयी ।

मनरेगा भवन :–

मनरेगा अंतर्गत सभी प्रखंड में 25 लाख रूपये की लागत से तथा सभी पंचायतों में 10 लाख की लागत से मनरेगा भवन का निर्माण का निर्णय किया गया एवं उसका कार्यान्वयन शुरू कराया गया । ये भवन आधुनिक ICT सुविधाओं से लैस होंगे तथा इसममें बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सोलर ऊर्जा की सुविधा होगी । इनके निर्माण से मनरेगा कर्मियों को आधुनिक कार्यालय उपलब्ध हो जायेगा तथा काम की मांग से लेकर सभी प्रकार के डाटा का MIS में संग्रहण आसान हो जायेगा ।

सामाजिक वानिकी –

1. राज्य में सामाजिक वानिकी की अतिमहत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन आरंभ किया गया । ग्रामीण विकास मंत्रालय, **भारत सरकार** द्वारा बिहार की इस सामाजिक वानिकी योजना को **समस्त देश में लागू करने का निर्देश** जारी ।

2. वृक्ष संरक्षण योजना के अंतर्गत मनरेगा शीर्ष से लगाये गये पौधों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को **प्रति परिवार 20 वृक्ष** आवंटित किये जाने की योजना लागू की गयी ।

3. सामाजिक वानिकी योजना के अंतर्गत पहली प्राथमिकता सभी निःशक्त(Differently abled) व्यक्ति रहेंगे, दुसरी प्राथमिकता सभी समुदाय की विधवा एवं तीसरी प्राथमिकता सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ रहेंगी । तद्नुसार इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ।

4. Facilitator की यह भी जिम्मेवारी रहेगी कि इस योजना के अंतर्गत जो भी महिला कार्य करेंगी उन महिलाओं का, कम से कम 12 महिलाओं का समुदायवार स्वयं सहायता समूह बनाकर जीविका संस्था के योजनाओं के साथ जोड़ेगें ताकि इन महिलाओं को अन्य जीविकोपार्जन का भी लाभ मिल सके ।

बी0आर0डी0एस0 (बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी):–

बिहार राज्य रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी **कोर टीम** के पुनर्गठन के फलस्वरूप एल01 से एल7 स्तर तक के कुल 161 पदों का सृजन किया गया है । इसके अधीन ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत क्रियान्वित करवाये जा रहे इंदिरा आवास योजना, मनरेगा तथा सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु 6 स्तम्भ सृजित हैं । जिसमें 2 स्तम्भ इंदिरा आवास योजना तथा मनरेगा योजना के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण से संबंधित है । एक स्तम्भ सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित है तथा 3 अन्य स्तम्भ क्रमशः वित्त, क्षमतावर्द्धन एवं मानव संसाधन तथा ई–गवर्नेंस से संबंधित है । वित्त विभाग में ही एक प्रशाखा आंतरिक अंकेक्षण से संबंधित है जो आंतरिक अंकेक्षण के लिए जिम्मेवार होगा ।

जीविका :–

1.आयुक्त स्वरोजगार के पद का सृजन एवं उस पद पर पदस्थापन ।

2. राज्य के सभी प्रखंडों में चरणबद्ध तरीकों से कार्य शुरू कर दिया गया है । वर्ष 2018 तक इसके तहत 1.5 करोड़ लक्षित ग्रामीण परिवारों को संगठित कर विभिन्न माध्यमों से उनकी आजीविका सुदृढ़ कर उन्हे **गरीबी रेखा की सीमा से ऊपर** लाने का लक्ष्य है । पूर्व में गठित एस0जी0एस0वाई0 समूहों को जीविका के स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जा रहा है ।

3. जीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को विस्तृत बाजार उपलब्ध कराने एवं ब्रांडिंग करने की योजना पर कार्रवाई आरंभ है । इसके तहत इन उत्पादों की ऑन–लाईन बिक्री की योजना भी विचाराधीन है ।

4. बिहार सरकार द्वारा जीविका अंतर्गत राज्य स्तर पर ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के कौशल संवर्द्धन करने हेतु वृहत पैमाने पर **कौशल संवर्द्धन** कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है । इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को बाजारोन्मुखी विधाओं में क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित कर नियोजन उपलब्ध कराना है । **कौशल विकास योजना** अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में लगभग 1 करोड़ 8 लाख युवाओं का कौशल संवर्द्धन कर उनका नियोजन सुनिश्चित किया जाएगा । राज्य के युवाओं का कौशल विकास एवं नियोजन की दिशा में लगभग 41 एजेंसियों के साथ एकरारनामा हो चुका है । अबतक लगभग 10,365 युवायों को प्रशिक्षित तथा 5734 युवाओं को संगठित/असंगठित क्षेत्रों में नियोजित कराया जा चुका है ।

स्वयं सहायता समूह–

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में **जीविका** कार्यक्रम का विस्तार राज्य के सभी जिलों में हो चुका है । अन्य संगठनों द्वारा गठित समूहों को भी इसके दायरे में लाये जाने की कार्रवाई जारी है । अबतक लगभग 2,51,769 स्वयं सहायता समूहों, 10,816 ग्राम संगठनों तथा 156 संकुल स्तरीय संगठनों का गठन हो चुका है जिनके माध्यम से अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । वृद्ध एवं शारीरिक रूप से अपंग लगभग 2400 व्यक्तियों के 300 समूहों का भी गठन अलग से किया गया है । इस वर्ष इस कार्यक्रम को और गति दी जाएगी और आशा है एक वर्ष की अवधि में इन समूहों एवं संगठनों की संख्या दुगनी हो जाएगी ।

DMI -

1. युवाओं को बिहार के भीतर हीं उच्च कोटि की **उच्च स्तरीय प्रबंधन** शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा पटना में उच्च स्तरीय प्रबंधन संस्थान के रूप में डेवलपमेंट मैनेजमेंट इन्स्टीच्यूट(DMI) की स्थापना की गयी है । इसके सत्र की शुरूआत हो चुकी है । DMI में युवाओं के साथ पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए Development Management Programe कार्यक्रम चलाये जाएगें ताकि वे उत्कृष्ठ श्रेणी के प्रबंधन पेशेवर हो सकें । संस्थान

का मुख्य पाठ्यक्रम संस्थान के उद्देश्यों से संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर डिपलोमा PGDAM है ।

R-SETI (Rural Self Employment Training Institute -

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार द्वारा अग्रणी बैंकों की सहभागिता से राज्य के सभी जिलों में **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान** R-SETI की स्थापना की गयी है । इन संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के 18–45 वर्ष के व्यक्तियों को उनकी अभिरूचि योग्यता तथा स्थानीय मांग के अनुरूप स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाता है । सभी जिलों में प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण हेतु भूमि का चयन हो चुका है तथा 37 स्थानों पर भवन निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करायी गयी है ।

ग्लोबल इन्वार्मेन्ट फैसिलिटीज(GEF)–

1. ग्लोबल इन्वार्मेन्ट फैसिलिटीज के तहत स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड के द्वारा अनुदानित योजना 'जलवायु परिवर्तन की ग्रहणशीलता एवं स्थायी आजीविका परियोजना को बिहार के मधुबनी एवं गया जिलों के 50–50 गाँवों में क्रमिक रूप से लागू किया जाएगा । योजना का कार्यान्वयन जीविका(राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन) द्वारा कराया जायगा । इस मद में स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड द्वारा बिहार के लिए अनुदान स्वरूप 24 करोड़ 53 लाख 20 हजार रूपये प्राप्त होंगे एवं 6 करोड़ 65 लाख 43 हजार रूपये राज्यांश के रूप में दिया जायगा । योजना का कार्यान्वयन चार वर्षो में पूरा कराया जायगा ।
2. योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि आधारित आजीविका पर निर्भर ग्रामीण निर्धनों की जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों के अनुरूप ग्राह्यक्षमता में वृद्धि किया जाना है ।
3. पूरे देश में ग्लोबल इन्वायर्मेन्ट फैसिलिटीज (GEF) द्वारा दो राज्यों के चार जिलों में यह योजना लागू किया जा रहा है, जिसमें बिहार के मधुबनी एवं गया के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के दो जिले भी शामिल हैं । परियोजना की अवधि सितम्बर 2014 से लेकर जून 2018 तक चार वर्षो के लिए निर्धारित है ।

बिपार्ड –

राज्य विभाजन के बाद RDTI की स्थापना की गयी और बाद में इसे सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत निबंधित कराकर बिपार्ड (बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण ग्रामीण विकास संस्थान) के रूप में परिवर्तित किया गया ।

बिपार्ड एवं IL&FS के बीच एकरानामा हुआ, जिसके तहत कुल 30 हजार मनरेगा कर्मियों एवं अन्य स्टेक होल्डर को क्षमता एवं विकास सम्वर्द्धन के लिए प्रशिक्षण निर्धारित अवधि के भीतर देना था । उक्त के आलोक में चयनित संस्था IL&FS द्वारा 17194 मनरेगा कर्मियों एवं अन्य स्टेक होल्डर को प्रशिक्षण दिया जा चुका है । शेष 12806 मनरेगा कर्मियों एवं अन्य स्टेक होल्डरों को प्रशिक्षण दिये जाने की कार्रवाई की जा रही है । इस निमित विभाग द्वारा बिपार्ड को सहमति दी जा चुकी है ।

American Centre & Communication-

अमेरिकन सेन्टर यू0एस0 कंसूलेट के द्वारा मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों को Communicative English में प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

Exposer Visit of Officer-

इसके तहत विभागीय पदाधिकारी को विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया है ।

पुरस्कार –

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिहार को वर्ष 2013–14 में मनरेगा के कार्यान्वयन में जवाबदेही एवं पारदर्शिता के प्रयासों को सराहते हुए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार एवं आजीविका में अभिसरन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त ।

2. भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को ऑन–लाईन आवेदन प्रणाली 'संविदा' के सफल क्रियान्वयन पर वर्ष 2014–15 में ई–गवर्नेंस के क्षेत्र में **प्रथम स्वर्ण** पुरस्कार से सम्मानित किया गया । इस प्रणाली के माध्यम से 10 हजार

से अधिक इंदिरा आवास सहायकों, पर्यवेक्षकों एवं लेखापालों की नियुक्ति पूर्णतया पारदर्शी एवं ऑन–लाईन प्रक्रिया से की गयी । इस पुरी प्रक्रिया के विरूद्ध किसी अनियमितता का शिकायत न प्राप्त होना इसकी सफलता का सर्वोत्तम द्योतक था ।

प्रखंड भवन निर्माण –

1. कुल 77 प्रखंडों के कार्यालय एवं आवासीय भवन का नयी तकनीक से निर्माण कराया जा रहा है जिनमें से 38 प्रखंडों में निर्माण कार्य प्रगति पर ।

2. प्रखंड कार्यालय भवन 2267 sqm क्षेत्रफल पर भूतल+ 2 के रूप में है ।

3. नये भवनो के निर्माण पर 12 करोड़ 15 लाख रूपये प्रत्येक के दर से व्यय किये जा रहे हैं।

4. प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय एवं आवासीय परिसर निर्माण हेतु भू–अर्जन मद में वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक कुल 24 प्रखंडों के लिए 38 करोड़ 95 लाख 31 हजार 816 रूपये की राशि आवंटित ।

प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी भवन का निर्माण एवं संबंधित कार्य –

1. राज्य के 101 प्रखंडों में प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी भवन का निर्माण कराने का प्रस्ताव ।

2. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रखंडों में कम व्यय पर कार्यो के संचालन में गति, पारदर्शिता एवं दक्षता वृद्धि के लिए इनफॉरमेशन कम्यूनिकेशन टेक्नॉलॉजी (ICT) के व्यापक उपयोग तथा ब्रॉड–वैंड कनेक्शन की व्यवस्था । प्रखंडों में बेहतर कनेक्टीभिटी स्थापित कर प्रखंड से जिला मुख्यालय एवं राज्य मुख्यालय तक डाटा कम्यूनिकेशन सुदृढ़ कर योजनाओं के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं जांच की गति तीव्र और पारदर्शी करने की व्यवस्था ।

3. कुल 534 प्रखंडों को इन्टरनेट सुविधा प्रदत्त । इस व्यवस्था के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी से सूचना प्राप्त करना, ऑन–लाईन सम्पर्क में रहना संभव हुआ है और उनका केन्द्रीकृत मॉनिटरिंग भी हो रहा है । इसके लिए उनके कक्ष में

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरणों का स्थापन और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है । इस व्यवस्था का विस्तार पंचायत स्तर तक करने की योजना है ।

IWDMS (Integrated Work Flow and Document Management System)-

ग्रामीण विकास विभाग में प्राप्त प्रतिवेदनों, पत्रों, संचिकाओं, एवं विभाग में कार्यरत कर्मियों उपस्थिति विवरणी का ट्रैकिंग एवं मार्किंग आई0डब्ल्यू0डी0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है ।

RDD-Arms-

मंत्री कोषांग में ऑन–लाईन आर0डी0डी0आर्म्स (एप्लीकेशन रेकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम) कार्यरत है । इसके तहत प्राप्त पत्रों/आवेदनों एवं परिवादों के प्रेषक को प्राप्ति एवं कार्रवाई संबंधी सूचना एस0एम0एस0 के द्वारा तत्काल दी जाती है । कृत कार्रवाई के लिए पत्र प्रेषक को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं पड़ती ।

Website-

ग्रामीण विकास विभाग के वेबसाईट www.rdd.bih.nic.in पर विभाग के महत्वपूर्ण पत्रों, अधिसूचनाओं, टेन्डर नोटिस एवं best practices आदि को अपलोड एवं निरन्तर अद्यतन किया जाता है ।

स्मार्ट ऑफिस कन्सेप्ट

- प्रखंड कार्यालय में कार्य प्रणाली को सुदृढ़ एवं इसकी प्रकृति को नई तकनीक से जोड़ने हेतु कार्य किया जा रहा है।
- प्रत्येक प्रखंड कार्यालय भवन में कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने पर भी विचार किया जा रहा है जिसका

निरीक्षण जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी द्वारा एवं मुख्यालय स्तर पर भी किया जा सके, ऐसी व्यवस्था को मूर्त रूप दिया जा रहा है ।

- सभी प्रखंड कार्यालय में रखी गयी परिसंपतियों एवं कागजात/अभिलेखों को अग्नि से सुरक्षित किया जा सके इस हेतु सभी प्रखंड कार्यालय भवनों एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भवनों में भी अग्नि शामक संयत्र लगाया जाना है।
- प्रखंड कार्यालय में आने वाले आमजन की सुविधा हेतु जनसुविधा शौचालय का निर्माण कराया जाना है ।
- विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से मुख्यालय स्तर पर योजनाओं की समीक्षा हो सके, इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के कक्ष में इसे तकनीकी रूप से सुदृढ़ किया जाना है ।
- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड के कर्मी अपने कार्य की प्रकृति में गुणात्मक सुधार लाये इस हेतु समय–समय पर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है ।

बिहार स्टेट रेसिडेंट रजिस्ट्री –

बिहार स्टेट रेशिडेंट रजिस्ट्री परियोजना निर्णयाधीन है । इसके तहत बिहार के सभी नागरिकों को सरकार से प्राप्त हो रही सभी लाभों का एक केन्द्रीकृत डाटा–बेस बनाया जा रहा है । इस डाटाबेस के माध्यम से कहीं से भी यह ज्ञात किया जा सकेगा कि किस निवासी के द्वारा किन–किन सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा रहा है ।

SEGC एवं निगरानी, अनुश्रवण समिति :-

1. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 12(1) में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार रोजगार गारंटी परिषद का गठन विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में किया गया है । इसके उपाध्यक्ष विकास आयुक्त, बिहार हैं ।

2. मनरेगा योजना एवं अन्य केन्द्रीय योजनातंर्गत कृत कार्यो के सत्त निगरानी हेतु राज्य स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है ।

सहायक परियोजना पदाधिकारी

1. भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के आलोक में राज्य के सभी जिलों के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में सहायक परियोजना पदाधिकारी के दायित्वों का पुनर्निर्धारण किया गया।

2. उक्त दायित्वों के निर्वहन हेतु महिला प्रसार पदाधिकारी/प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) की उक्त पद पर प्रतिनियुक्ति ।

लेखा संधारण :–

1. विभाग द्वारा स्थापित मनरेगा एवं इंदिरा आवास योजना के लेखा का संधारण वर्तमान में पंचायत सचिव/पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा किया जाता है । उसके स्थान पर संधारण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण प्रोजेक्ट(BISPS) के तहत सभी प्रखंड में एक लेखापाल की व्यवस्था ।

2. इस परियोजना को ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं विश्व बैंक द्वारा संचालन । दोनों विभागों द्वारा संस्थानिक व्यवस्था एवं संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण तथा लक्षित समूहों को तक सरकार की योजनाओं का आसानी से पहुँच बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है ।

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011:–

1. सभी 38 जिलों का ड्राफ्ट सूची प्रकाशित ।

2. एन0पी0आर0 डाटा एवं एस0ई0सी0सी0 डाटा को एकीकृत करके सभी जिलों में प्रारूप सूची प्रकाशित करने वाला बिहार देश का पहला राज्य ।

3. ड्राफ्ट सूची के बाद प्राप्त लगभग 50 लाख दावा आपत्तियों का निष्पादन किया गया ।

4. निष्पादित दावा–आपत्ति के आधार पर considered data खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने हेतु उपलब्ध कराया गया । जिसके आधार पर अधिनियम लागू किया गया ।

बिहार इनोवेशन फॉरम :–

विश्व बैंक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन सोसाईटी (जीविका एवं स्टेट इनोवेशन कॉसिंल) के संयुक्त तत्वाधन से राज्य के सभी इनोवेशन को एक डाटाबेस तैयार करने का अनूठा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया । प्राप्त सभी इनोवेशन में से शीर्ष इनोवेशंस को पुरस्कृत किया गया एवं उनको प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक सहयोग प्राप्त किये गये ।

SAAS (Software as a Service)

इंदिरा आवास योजना तथा मनरेगा के सघन पर्यवेक्षण, पारदर्शिता तथा लाभुकों को देय लाभ प्रभावी रूप से उन तक पहुँचाने के लिए पंचायत स्तर तक कर्मियों को Android Based मोबाईल फोन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि उनके किए जा रहे योजनाओं के निरीक्षण का प्रतिवेदन तथा फोटोग्राफ तत्काल आवास सॉफ्ट/नरेगा साफ्ट पर अपलोड किया जा सके । निरीक्षण माड्युल को आवास सॉफ्ट/नरेगा सॉफ्ट से एकीकृत करने हेतु SAAS (Software as a Service) सेवा प्राप्त की गई है ।

हमारा गांव हमारी योजना :–

ग्राम विकास की महायोजना के रूप में बहार राज्य के सभी जिलों में **"हमारा गांव हमारी योजना"** नामक एक अनूठा पहल किया गया । इस योजना के अंतर्गत वार्ड सभा द्वारा ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता से एवं उनके समुदाय की जरूरतों के आधार पर पंचायतवार महायोजना बनाया गया । इस कार्यक्रम के अंतर्गत मनरेगा

एवं अन्य विभागों से क्रियान्वित किये जाने वाली योजनाओं का अभिसरन किया जा रहा है ।

आधार कार्ड :–

ग्रामीण विकास विभाग को आधार कार्ड पंजीकरण हेतु राज्य पंजीयक घोषित किया गया है । 15 जनवरी, 2015 से पूरे राज्य के स्तर पर पंजीकरण का व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है । इस कार्य को पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पादित करने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एव अन्य संबंधित पदाधिकरियों का दूरभाष इत्यादि विवरणी बार–बार विज्ञापन के माध्यम से जन–मानस तक पहुँचाया जा रहा है । आधार से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए टॉल फ्री की सुविधा भी दी गयी है ।

मनरेगा योजना GIS मैपिंग –

मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है । सामाजिक वानिकी के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य कराया जाता है, कराये गये वृक्षारोपण का सही–सही अनुश्रवण एवं वृक्षों की उतरजीविता का आकलन एक दुरूह कार्य होता है । सामाजिक वानिकी द्वारा लगाये गये सभी पौधों का GIS मैपिंग कराकर अनुश्रवण एवं ट्रैकिंग किया जा सकता है । बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी(BRDS) द्वारा GIS मैपिंग कराने की योजना है । इस कार्य के तहत वृक्षारोपण योजना से आच्छादित भू–क्षेत्र के आकलन के साथ–साथ लगाए गए पौधों की संख्या का पता लगाया जा सकता है । इससे यह भी ज्ञात किया सकता है कितने क्षेत्र गैर आच्छादित है, जिनमे वृक्षारोपण किया जा सके ।

वर्ष 2010 से ग्रामीण विकास अभिकरणों की उपलब्धियाँ :–

1. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के रिक्त पदों पर सेवानिवृत कर्मचारियों की संविदा के आधार सेवाएँ लिये जाने का निर्णय लिया गया है ।
2. अभिकरण के संविदा पर कार्यरत व्यक्तियों के मानदेय में 88 प्रतिशत की वृद्धि की गई है ।
3. अभिकरण के सविंदा कर्मियों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की गई है–
   क) प्रत्येक वर्ष 12 दिनों की आकस्मिक अवकाश ।
   ख) प्रत्येक वर्ष 12 दिनों की उपार्जित अवकाश ।
   ग) 200/–रू0 प्रतिमाह की दर से निर्धारित चिकित्सा भत्ता ।
   घ) उदार यात्रा भत्ता ।
4. अभिकरण की महिला कर्मियों को निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान की गई है –
   क) दो संतान की सीमा के अधीन प्रत्येक वार 90 दिन मातृत्व अवकाश की सुविधा ।
   ख) प्रत्येक माह दो विशेष अवकाश की सुविधा ।
5. महिला प्रसार पदाधिकारी एवं प्रसार पदाधिकारी (उ० एवं वा०) की सेवा सरकारी सेवा घोषित होने के उपरांत निम्न कार्रवाई की गई है –
   क) वरीयता सूची की प्रकाशन ।
   ख) सेवा संपुष्टि की अड़चन को दूर करने हेतु विभागीय परीक्षा से छूट ।
   ग) कर्मचारियों की सेवा संपुष्टि ।
   घ) कर्मचारियों की सेवा संपुष्ट करने एवं उन्हें ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की सुविधा प्रदान करने की कार्रवाई ।
   ड़) महिला प्रसार पदाधिकारियों को ग्रामीण विकास अभिकरणों के अंतर्गत सहायक परियोजना पदाधिकारी के महत्वपूर्ण दायित्व प्रदान किए गए हैं ।

यंग प्रोफेसनल नीति :–

बिहार रूरल लाईवलीहुड प्रोमोशन सोसाईटी(BRLPS) के तत्वाधन में वैसे प्रतिभावान निपुण युवा जिनमें गरीबों के साथ करने का जज्बा है एवं आजीविका से जुड़े कामों में परिपक्व प्रोफेशल बनने की क्षमता है, को Young Professional Programme में शामिल किया जायेगा । राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त

संस्थानों से स्नात्कोत्तर अथवा PG Diploma डिग्रीधारी एवं आजीविका से संबंधित कार्यो का कुछ अनुभव हे (3 साल से कम) इस कार्यक्रम के तहत आजीविका संबंधी कार्यक्रम चलाने के लिए जरूरी कार्यक्रम के तहत आजीविका संबंधी कार्यक्रम चलाने के लिए जरूरी निपुणता हासिल करेंगे तथा इससे दक्ष युवा प्रोफेसनल का कैडर तैयार होगा ।

पदाधिकरियों पर कार्रवाई :–

भ्रष्टाचार एवं कार्य में अनियमितता बरतने के मामले में सरकार की zero tolerance की नीति के अनुपालन में

1. 17 तत्कालीन जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने की अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग को की गई है एवं 04 उप विकास आयुक्त के विरूद्ध कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । (04 जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई है)
2. 20 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी (बिहार प्रशासनिक सेवा) के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने की अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग को दी गई है ।
3. वर्ष 2013–14 में 08 उप विकास आयुक्त आयुक्तों के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर 07 पर विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग को की गयी ।
4. कुल 278 प्रखंड विकास पदाधिकारियों के विरूद्ध गठित प्रपत्र 'क'/प्रतिवेदन विभाग में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुआ है ।
5. 101 प्रखंड विकास पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने/निलंबन की अनुशंसा उनके पैतृक विभाग से की गयी ।
6. 13 प्रखंड विकास पदाधिकारियों के विभागीय कार्यवाही विभाग में संचालनधीन है ।

7. 20 प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं 05 प्रसार पदाधिकारी/महिला प्रसार पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने के उपरांत दण्ड अधिरोपित किया गया ।
8. 144 प्रखंड विकास पदाधिकारियों के विरूद्ध गठित प्रपत्र 'क' के आलोक में उक्त सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर मंतव्य सहित प्रतिवेदन की माँग संबंधित जिला पदाधिकारी से की गयी है ।
9. 05 कार्यक्रम पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी को बर्खास्त/अनुबंध रद्द किया गया है ।

विभाग का न्यूजलेटर 'समृद्धि' (News Letter) :-

विभाग द्वारा त्रैमासिक न्यूज लेटर का हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशन किया जा रहा है । इससे विभाग द्वारा संचालित योजनाओं यथा इंदिरा आवास योजना, मनरेगा, एन0आर0एल0एम0 इत्यादि के संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं । इसके अतिरिक्त जिला एवं प्रखंड में जो उत्कृष्ठ कार्य किये जा रहे हैं एवं उनका जो success stories है उनके बारे में संक्षिप्त विवरण दी जाती है। न्यूज लेटर को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय के मंत्री एवं सचिव तथा राज्यों के मंत्री एवं सचिव तथा वर्ल्ड बैंक एवं विभिन्न एन0जी0ओ0 को इसकी प्रति भेजी जाती है । उनके द्वारा प्राप्त सुझावों को अमल में लाकर इसे और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है ।